

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी
सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स - 2221641, ईमेल - cgayush@gmail.com

क्रमांक / 1 / स्था. / राज. / महा. / 2021 / 2820

रायपुर, दिनांक 31 JUL 2021

- प्रति,
1. प्राचार्य,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर (छ.ग.)
 2. प्राचार्य,
राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कालेज, चंदखुरी दुर्ग (छ.ग.)
 3. प्राचार्य,
भारती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
 4. प्राचार्य,
छ.ग. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मनकी राजनांदगांव (छ.ग.)
 5. प्राचार्य,
महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुंदरा, राजनांदगांव (छ.ग.)
 6. प्राचार्य,
रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रामकुंड रायपुर (छ.ग.)
 7. प्राचार्य,
महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कालेज, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
 8. प्राचार्य,
छदामी लाल चौकसे मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल
कालेज एवं रिसर्च सेंटर, लाल खदान बिलासपुर (छ.ग.)
 9. प्राचार्य,
मोहसिने मिल्लत यूनानी मेडिकल कालेज,
एवं हास्पिटल, मेहबूबिया चौक बैजनाथपारा रायपुर (छ.ग.)
 10. प्राचार्य,
श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय,
पारस नगर, नगपुरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- कोविड-19 संबंधी समस्त सुरक्षा प्रक्रिया एवं निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं को 02 अगस्त 2021 से पुनः खोलने बाबत।

संदर्भ :- शासन पत्र क्रमांक एफ 17-35/2020/नौ/55-4, दिनांक 27.07.2021

---0---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। शासन निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए शिक्षण संस्थाओं का संचालन सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़



पृ.क./1/स्था./राज./महा./2021/
प्रतिलिपि :-

रायपुर,दिनांक

- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़



627
30/7/21

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-492002

क्रमांक: एफ 17-35/2020/नौ/55-4,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27 JUL 2021

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़, रायपुर।


विषय:- कोविड- 19 संबंधी समस्त सुरक्षा प्रक्रिया एवं निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं को 02 अगस्त 2021 से पुनः खोलने बाबत।

—0—

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (1) चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में सभी कक्षायें 02 अगस्त, 2021 से ऑफलाइन मोड में प्रारंभ की जाए।
- (2) किसी भी विद्यार्थी को यदि सर्दी, खाँसी, बुखार आदि हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठाया जाए।
- (3) ऑनलाइन कक्षायें यथावत संचालित की जाती रहेंगी।
- (4) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (5) सभी शिक्षण संस्थाओं के कमरों की साफ-सफाई ठीक प्रकार से की जाए।

2/ उपरोक्त शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।


(राजीव अहिरे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 17-35/2020/नौ/55-4,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27 JUL 2021

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,
4. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर,


निरंतर.....2.

DNS/Nursing_Order

//2//

5. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,
6. प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
7. प्राचार्य, शासकीय फिजियोथेरेपी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
8. प्राचार्य, समस्त शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,
9. समस्त, निजी दंत/फिजियोथेरेपी चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,
10. समस्त, निजी नर्सिंग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
०/०